सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-6734/JH/241/2025-RU-IV

दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

**उपायुक्त,**
जिला-लोहरदगा,
समाहरणालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302
ई-मेल: dc-loh@nic.in

विषय: **प्रार्थियों की रैयती जमीन पर फर्जी लोगों द्वारा हिण्डालको ईन्डस्ट्री को खनन कार्य हेतु देने के संबंध शिकायत- श्री बुधराम नगेसिया तथा सुधराम नगेसिया, ग्राम- रेहलदाग, जान्होपाट , पो०- जोरी, थाना- बिशुनपुर, जिला- गुमला का दिनांक 09.12.2025 का पत्र।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई र्वाई की रिपोर्टका 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

**(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)**
**अवर सचिव / Under Secretary**
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

**प्रतिलिपि सूचनार्थ**-:
**श्री बुधराम नगेसिया तथा श्री सुधराम नगेसिया,**
ग्राम- रेहलदाग, जान्होपाट , पो०- जोरी,
थाना- बिशुनपुर, जिला- गुमला,
(झारखण्ड)
Mobile No: 9110125034

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**NCST/DEV-6734/JH/241/2025-RU-IV**

श्री बुधराम नगेसिया तथा श्री सुधराम नगेसिया, ग्राम-पाखर सरनापाट, अंचल-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "प्रार्थियों की रैयती भूमि को फर्जी व्यक्तियों द्वारा हिण्डालको इंडस्ट्री को खनन कार्य हेतु दिए जाने" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

**सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026**

**सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड**

**सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार**

अभ्यावेदक श्री बुधराम नगेसिया तथा श्री सुधराम नगेसिया, ग्राम-पाखर सरनापाट, अंचल-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड) द्वारा दिनांक 09.12.2025 को आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उनकी रैयती भूमि, जो खाता संख्या-25 तथा आर.एस. खाता संख्या-138, 140 एवं 141 में दर्ज है, को कुछ फर्जी व्यक्तियों द्वारा स्वयं को भूमि का स्वामी/उत्तराधिकारी दर्शाते हुए हिण्डालको इंडस्ट्री को खनन कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया है। अभ्यावेदकों का आरोप है कि उपायुक्त, लोहरदगा न्यायालय में अनुमति वाद संख्या-01/2024 के संदर्भ में की गई कार्रवाई में वास्तविक रैयतों के अधिकारों की अनदेखी की गई है तथा भूमि से संबंधित तथ्यों एवं अभिलेखों का समुचित सत्यापन नहीं किया गया। उनका कहना है कि उनकी पुश्तैनी एवं रैयती भूमि पर बिना उनकी सहमति एवं जानकारी के खनन गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अभ्यावेदकों ने आयोग से मामले की विस्तृत जांच कराने, भूमि अभिलेखों एवं उत्तराधिकार संबंधी दावों की सत्यता की जांच करने तथा दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

**2.** प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 19.01.2026 को उपायुक्त, लोहरदगा (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

**3.** मामले की गंभीरता तथा अनुसूचित जनजाति रैयतों की भूमि से संबंधित विवाद एवं खनन गतिविधियों के संदर्भ में लगाए गए आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, लोहरदगा व् अभ्यावेदकगण उपस्थित रहे

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

5. सुनवाई के दौरान उपसमाहर्ता, लोहरदगा तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2026, WP(C) No. 1794 of 2026 के अनुपालन में उपायुक्त, लोहरदगा के न्यायालय द्वारा अभ्यावेदकों के अभ्यावेदन पर विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तथा उन्हें अपने दावे के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि भूमि के स्वत्व संबंधी विवाद सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-मुंसिफ, लोहरदगा के न्यायालय में ऑरिजिनल केस संख्या 92/2024 के रूप में विचाराधीन है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय एवं जिला प्रशासन के समक्ष विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन है।

6. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. उपर्युक्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतः आयोग की ओर से किसी अग्रिम हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। और यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2026

**(डॉ. आशा लकड़ा)**

**सदस्या**

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi